तैयारी मानसून पूर्व नालों के अतिक्रमण हटाने नगर निगम कमर कस रहा, निगमायुक्त की अपील-नाले-नालियों में कचरा नहीं फेकें

19 नालों से हटाए अतिक्रमण, 25 से हटाने की तैयारी

जबलपुर, नवभारत। आगामी मानसून के सीजन को देखते हुए नगर निगम ने अब कमर कस ली है। निगमायुक्त ने नवभारत को बताया कि शहर में कुल 160 के आसपास बड़े नाले और नालियां मौजूद है। जिनकी सफाई अब शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि निगम द्वारा एक टीम बनाई गई है जो नालों की सफाई लगातार कर रही है। निगमायुक्त के अनुसार ओमती नाले, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य इलाकों में सफाई शुरू की जा रही है। वही विभिन्न वार्डों में छोटी नालियों की नियमित सफाई भी कराई जा रही है। निगम ने जलभराव से बचाव के लिए दोतरफा रणनीति अपनाई है, जिसमें मुख्य नालों से सिल्ट, मलवा और कचरा जेसीबी से हटाया जा रहा है, जबकि संकरे हिस्सों में श्रमिक प्लास्टिक व ठोस कचरा भी निकाल रहे हैं।

निरीक्षण कर किए चिन्हित कार्यवाही जल्द

मानसून आने से पहले नगर निगम शहर के बड़े नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है। इसी कड़ी में निगमायुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम शहर के वार्डो का निरीक्षण कर रहे है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम के द्वारा 19 नालों को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है। वहीं शहर के 25 अन्य नालों पर जमे अतिक्रमण को भी चिन्हित कर लिया है। निगमायुक्त ने नवभारत को बताया कि निरीक्षण के दौरान जिन भी नालों की स्थिति बेहद खराब मिल रही है उन्हें चिन्हित कर साफ किया जा रहा है। बता दे कि नाले पर अतिक्रमण और कचरे के अंबार होने के कारण पानी का बहाव पूरी तरह बाधित हो जाता है।नगर निगम की टीम ने दावा किया कि मानसून से पहले शहर के सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी ताकि बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या को कम किया जा सके।

लोगों से की अपील

बता दे की मॉनसून सीजन में अत्यधिक वर्षा होने के कारण शहर के नाले उफान पर आ जाते हैं। जिससे कई बार बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। ऐसे में निगमायुक्त ने मानसून आने के पहले से ही स्थिति को गंभीर बताते हुए तत्काल शहर के नालों की सफाई कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में नाले के ऊपर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारु रूप से हो सके। निरीक्षण के वक्त उनके साथ नगर निगम की सफाई टीम और अन्य कर्मी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने नाले की चौड़ाई, जल प्रवाह और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा भी लिया था। वही निगमायुक्त ने लोगों से अपील की कि नालों में कचरा न फेंकें और जल निकासी मार्ग को बाधित न करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नालों पर अतिक्रमण किया गया तो नगर निगम अधिनियम के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

> **चरमरा जाती है व्यवस्था**
>
> निगमायुक्त ने नवभारत को बताया कि नाले में लगातार कचरा फेंके जाने के कारण जल निकासी व्यवस्था चरमरा जाती हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान यही समस्या पूरे शहर में जल जमाव का बड़ा कारण बनती है। कई मोहल्लों में सड़क और घरों तक पानी भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।

फैक्ट फाइल

- शहर में कुल 160 नाले-नालियां
- 25 नाले किए गए अतिक्रमण के लिए चिह्नित
- 19 नालों से हटाया गया है अतिक्रमण
- सफाई के लिए बनाई गई है टीम

> **इनका कहना है**
>
>
>
> शहर के नाले नालियों की सफाई नगर निगम के द्वारा मानसून के पहले पूरा कर लिया जाएगा। नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने का कार्य भी जोर शोर से किया जा रहा है।
>
> **रामप्रकाश अहिरवार**
> **कमिश्नर, नगर निगम**
> **जबलपुर**

गुरंदी की 4 दुकानों में भड़की आग

5 फायर ब्रिगेड के वाहन, 6 टैंकर से बुझाई गई आग

फायर अमले ने 3 घंटे में पाया काबू

नवभारत,जबलपुर। गुरंदी के दर्शन चौक स्थित बैग, प्लास्टिक व कबाड़ की दुकानों में शॉट सर्किट की वजह से रात करीब 12 बजकर 40 मिनिट पर आग भड़क उठी जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन प्लास्टिक के सामान, बैग व कबाड़ का का सामान जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखते ही स्थानीयजनों ने तत्काल फायर अमले को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर अमले ने आग पर काबू पा लिया।

इस संबंध में फायर कर्मी विनय ने नवभारत को बताया कि चार दुकानों में भड़की आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के 5 वाहन, 6 टैंकर लगे थे और आग को करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। बताया जा रहा है जब तक फायर अमले ने आग पर काबू पाया तब तक दुकानों में रखा पूरा सामाल जलकर खाक हो चुका था।

> **घनी बस्ती के बीच से गुजरने में आई परेशानी**
>
> प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि गुरंदी बाजार के पहले घनी बस्ती और संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड के वाहनों को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार फारूख ,कासिम बेग, मुन्ना, ताज बेग, मुन्ना भाई, इरफान, हाफिज, इरशाद और इकबाल को अग्निकांड से नुकसान हुआ है।

सड़क के भीतर धंस गया डंपर, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जबलपुर, नवभारत। शहर में अमृत जल 2 प्रोजेक्ट के तहत बिछाई गई पाइप लाइन के कार्य में हर दर्जे की लापरवाही बरती गई है। बीच शहर के अतिव्यस्ततम मार्ग रेलवे पुल नंबर 1 से कांचघर रोड पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है इसका कारण पाइप लाइन बिछाने के बाद सही फिलिंग नहीं होने से गड्ढे में वाहनों के धंसने का सिलसिला जारी है।

इसी क्रम में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात एक डम्पर बीमा अस्पताल के समीप धंस गया जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा लोगों ने शिकायत में बताया है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क पर मिट्टी तो डाल दी गई थी, लेकिन उसे मजबूती से तैयार नहीं किया गया। वही वहां से गुजर रहा भारी डंपर जैसे ही उस हिस्से पर पहुंचा, सड़क दबाव नहीं झेल सकी और डंपर का एक हिस्सा सड़क के भीतर फँस गया। हादसे के दौरान चालक समय रहते डंपर से उतरकर बाहर निकल गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

रोज़ खड़े हो रहे सवाल

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़क पूरी तरह खुदी हुई है और पाइपलाइन का काम जारी है, तो भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। आम लोगों के लिए बेरिकेडिंग लगाकर रास्ते संकरे कर दिए गए हैं, जिससे बाइक और छोटे वाहन निकालना तक मुश्किल हो रहा है, लेकिन भारी डंपरों का लगातार निकलना जारी है। रहवासियों ने निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क को सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा है।

रूटीन तरीके से नहीं कर सकते अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस राम कुमार चौबे की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि जमानत एक स्वविवेक का अधिकार है परंतु अग्रिम जमानत देने का अधिकार खास तरह का है। गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने से न्याय में चूक हो सकती है। जांच में काफी हद तक रुकावट आ सकती है क्योंकि इससे कभी-कभी सबूतों से छेड़छाड़ या ध्यान भटक सकता है। अग्रिम जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल रूटीन तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

पन्ना जिले के सिमरिया थाना पुलिस के द्वारा एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज किये गये प्रकरण में आरोपी बनाये गये बब्लू उर्फ राम पाल यादव की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि उसके मवेशी शेड से पुलिस ने 65 लीटर शराब जब्त करते हुए भतीजे अनुज यादव को गिरफ्तार किया था। भतीजे के मेमोरेंडम के आधार पर उसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि रिकॉर्ड से साफ़ है कि गैर-कानूनी शराब आवदेक के मालिकाना हक वाले मवेशी शेड से बरामद हुई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने का मामला है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट का सेक्शन 59-1 एक्साइज एक्ट के सेक्शन 34(2) के तहत अपराध से जुड़े अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है। जमानत एक स्वाविवेक का अधिकार है परंतु अग्रिम जमानत देने का अधिकार खास तरह का है। एक्साइज एक्ट के सेक्शन 59-। के प्रोविज़न को देखते हुए, एंटीसिपेटरी बेल आवेदन पर विचार करना कानूनी नहीं है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

> **रेरा चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों की नियुक्ति के लिये तत्काल उठाए कदम**
>
> मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (रेरा) के चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर अगली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को हाजिर होना पड़ेगा। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। यह मामला रेरा एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता एवं राजीव मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि रेरा चेयरमैन 14 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में न्यायाधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ है। इसके बावजूद, रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं, राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि रेरा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

एसपी जनसुनवाई में सामने आईं 90 शिकायतें

एसपी ने जल्द से जल्द कार्यवाही का दिया आश्वासन

नवभारत,जबलपुर। आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओ के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा जन सुनवाई की गयी। जन सुनवाई में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिकायतकर्ता पुलिस कार्यालय में आये थे। इस दौरान पति-पत्नि/परिवारिक एवं जमीन सम्बंधी विवाद, मारपीट तथा सायबर अपराध से सम्बंधित 90 शिकायतें थी। एसपी द्वारा सभी शिकायतकर्ताओं को जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। जनसुनवाई में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बी.एस. गोठरिया एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकांक्षा उपाध्याय उपस्थित रहीं। एसपी जबलपुर सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर समस्त राजपत्रित अधिकारी कार्यालय, शहर एवं देहात के थानों एवं चौकी में भी जनसुनवाई करते हुये शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी गयी।

मेडिकल कॉलेज कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन

सीपीएफ, एनपीएस, सर्विस बुक और कॉलोनी व्यवस्था सुधार की मांग

नवभारत,जबलपुर। मप्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संघ द्वारा मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, जबलपुर में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने कर्मचारियों से जुड़े वित्तीय, प्रशासनिक एवं मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों को गंभीर बताते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की।

संघ ने ज्ञापन में बताया कि अधिष्ठाता कार्यालय के कर्मचारियों की सी.पी.एफ. राशि पूर्ण रूप से उनके एन.पी.एस. खातों में जमा कर दी गई है, जबकि अधीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों की राशि आंशिक रूप से ही समायोजित की गई है। संघ ने शेष राशि को अविलंब कर्मचारियों के एन.पी.एस. खातों में जमा कराने की मांग की। इसके अतिरिक्त संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बैंक वेतन खाता पैकेज का लाभ दिए जाने की मांग भी उठाई गई। संघ ने आग्रह किया कि एसबीआई मेडिकल कॉलेज शाखा को निर्देशित कर समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों को सैलरी अकाउंट में परिवर्तित कराया जाए ताकि कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं का लाभ मिल सके। संघ ने स्वशासी कर्मचारियों की सर्विस बुक सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने तथा जिन कर्मचारियों की सर्विस बुक सत्यापित नहीं हुई है, उनकी वर्तमान स्थिति से संघ को अवगत कराने की मांग भी की। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र तिवारी सहित अजय दुबे, रमेश उपाध्याय, ओमप्रकाश पनगरहा, साहिल सिद्दिकी, रोहित कुशवाहा, गोपाल नेमा, दिलीप श्रीवास्तव, हेमंत पाण्डेय, विनोद सिंह, कन्हैयालाल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

तकनीकी क्षमता और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है कामयाबी : ऊर्जा मंत्री

नवभारत,जबलपुर। मध्य प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने बढ़ती विद्युत मांग, सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड में एकीकरण तथा लगातार विस्तारित हो रहे ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसी चुनौतियों के बावजूद ट्रांसमिशन लॉसेस को पिछले वर्ष के स्तर 2.60 प्रतिशत पर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश का ट्रांसमिशन लॉसेस 2.60 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी इसे इसी स्तर पर बनाए रखना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की दक्षता, तकनीकी क्षमता और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग के दौरान भी यह उपलब्धि हासिल होना अत्यंत गौरव का विषय है।

नियामक आयोग के लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ट्रांसमिशन लॉसेस का लक्ष्य 2.74 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जबकि एमपी ट्रांसको ने इसे 2.60 प्रतिशत पर बनाए रखकर बेहतर प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि एमपी ट्रांसको को देश की अग्रणी ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ में शामिल करती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि के लिए एमपी ट्रांसको सहित प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है ।

चार तहसीलदारों की पद स्थापना में परिवर्तन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने प्रशासनिक कार्य की सुविधा को देखते हुए जिले में पदस्थर चार तहसीलदारों की पद स्थापना में परिवर्तन के आदेश जारी किये है। आदेश के अनुसार प्रभारी तहसीलदार सुमित गुप्ता को तहसीलदार शहपुरा से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील शहपुरा नियुक्त किया गया है। कलेक्ट्रेट में पदस्थश प्रभारी तहसीलदार सुरेश कुमार सोनी को अतिरिक्तक तहसीलदार, तहसील शहपुरा (वृत्तय चरगवां) बनाया गया है। प्रभारी तहसीलदार राजीव मिश्रा को सहायक सत्कार अधिकारी, सहायक नोडल ब्रिस्का तथा संस्थागत वित्तत एवं जेएटीसीसी से तहसीलदार शहपुरा के पद पर तथा नायब तहसीलदार राघवेन्द्र कुमार पटेल को तहसील शहपुरा (वृत्त चरगवां) से कलेक्टर कार्यालय की सत्कार शाखा में पदस्थ किया गया है।

तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

नवभारत,जबलपुर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है । कंपनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण के लिए 19 मई 2026 से 8 जून 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई है ।

कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि अधीक्षण अभियंता, महाप्रबंधक एवं उनसे उच्च पदस्थ अधिकारी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे । वहीं ऐसे कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना अवधि दो वर्ष से कम है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है । इनमें स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में 15 माह से कम समय शेष होना, तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहना, आपसी स्थानांतरण तथा पति-पत्नी के अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत होने जैसी स्थितियां शामिल हैं । इस दौरान कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे । आवेदन जमा होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा और ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह अमान्य होंगे । कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए तीन विकल्प देने होंगे, जिनमें वृत्त, संभाग अथवा लेखा इकाई का चयन करना होगा ।

निरीक्षण ईंधन व पर्यावरण बचाने का दिया संदेश

एक ही गाड़ी से निरीक्षण पर निकले निगमायुक्त-अपर आयुक्त

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम के अधिकारियों ने अलग-अलग वाहनों के काफिले की परंपरा को बंद करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। मंगलवार को निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार और अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान ने एक ही गाड़ी में सवार होकर शहर के विभिन्न संभागों का सघन दौरा किया। अधिकारियों की इस सादगी और पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।

गंदगी फैलाने वालों पर 500 का जुर्माना

सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अब पूरी तरह मुस्तैद है। निरीक्षण के दौरान जिन दुकानदारों द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाई जा रही थी, उन पर अधिकारियों ने तत्काल 500 का जुर्माना ठोंका। साथ ही सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन अवश्य रखें और कचरा सड़क पर न फेंकें। ऐसा न करने पर आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

> **कर्मचारियों से तत्काल लगवाई झाड़ू**
>
>
>
> दोनों अधिकारियों ने एक साथ भानतलैया, अधारताल और सुहागी संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों की सफाई व्यवस्था को बारीकी से परखा और नागरिकों को मिलने वाली जनसुविधाओं को बेहतर व व्यवस्थित पाया। अधिकारियों को अपने बीच पाकर स्थानीय नागरिकों ने भी व्यवस्थाओं को लेकर अपने सकारात्मक फीडबैक साझा किए। निरीक्षण के दौरान जब निगमायुक्त और अपर आयुक्त मंडी मदार टेकरी के पास पहुंचे, तो वहां कुछ स्थानों पर गंदगी देखकर उन्होंने तत्परता दिखाई। अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में वहां सफाई कर्मचारियों से झाड़ू लगवाई और पूरे परिसर को साफ कराया।